ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 88

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1259.13	...	1259.13	2417.97	1.26	2419.23	3636.33	1.26	3637.59	5147.23	1.01	5148.24
वसूलियां	*-256.81*	...	-256.81	...	...	...	*-1739.55*	...	*-1739.55*	*-2481.00*	...	*-2481.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1002.32**	**...**	**1002.32**	**2417.97**	**1.26**	**2419.23**	**1896.78**	**1.26**	**1898.04**	**2666.23**	**1.01**	**2667.24**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	20.18	...	20.18	22.22	1.26	23.48	21.78	1.26	23.04	24.23	1.01	25.24
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया पहल-भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम	239.25	...	239.25	195.75	...	195.75	125.00	...	125.00	141.00	...	141.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम												
3.01 कार्यक्रम घटक	983.47	...	983.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	-244.53	...	-244.53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*738.94*	...	*738.94*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
4.01 कार्यक्रम घटक	11.80	...	11.80	2181.00	...	2181.00	1739.55	...	1739.55	2481.00	...	2481.00
	-12.28	...	-12.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*-0.48*	...	*-0.48*	*2181.00*	...	*2181.00*	*1739.55*	...	*1739.55*	*2481.00*	...	*2481.00*
4.02 ईएपी घटक	4.43	...	4.43	19.00	...	19.00	10.45	...	10.45	20.00	...	20.00
4.03 कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	1739.55	...	1739.55	2481.00	...	2481.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4.04 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	-1739.55	...	-1739.55	-2481.00	...	-2481.00
निवल	*3.95*	*...*	*3.95*	*2200.00*	*...*	*2200.00*	*1750.00*	*...*	*1750.00*	*2501.00*	*...*	*2501.00*
जोड़-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	**742.89**	**...**	**742.89**	**2200.00**	**...**	**2200.00**	**1750.00**	**...**	**1750.00**	**2501.00**	**...**	**2501.00**
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	**742.89**	**...**	**742.89**	**2200.00**	**...**	**2200.00**	**1750.00**	**...**	**1750.00**	**2501.00**	**...**	**2501.00**
कुल जोड़	***1002.32***	***...***	***1002.32***	***2417.97***	***1.26***	***2419.23***	***1896.78***	***1.26***	***1898.04***	***2666.23***	***1.01***	***2667.24***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	9.13	...	9.13	68.28	...	68.28	45.30	...	45.30	75.21	...	75.21
2. भूमि सुधार	239.25	...	239.25	176.17	...	176.17	105.42	...	105.42	126.90	...	126.90
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	20.18	...	20.18	22.22	...	22.22	21.78	...	21.78	24.23	...	24.23
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	1.26	1.26	...	1.26	1.26	...	1.01	1.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**268.56**	**...**	**268.56**	**266.67**	**1.26**	**267.93**	**172.50**	**1.26**	**173.76**	**226.34**	**1.01**	**227.35**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	239.58	...	239.58	197.08	...	197.08	264.11	...	264.11
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	736.51	...	736.51	1864.22	...	1864.22	1491.29	...	1491.29	2121.78	...	2121.78
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	-2.75	...	-2.75	47.50	...	47.50	35.91	...	35.91	54.00	...	54.00
जोड़-अन्य	**733.76**	**...**	**733.76**	**2151.30**	**...**	**2151.30**	**1724.28**	**...**	**1724.28**	**2439.89**	**...**	**2439.89**
कुल जोड़	**1002.32**	**...**	**1002.32**	**2417.97**	**1.26**	**2419.23**	**1896.78**	**1.26**	**1898.04**	**2666.23**	**1.01**	**2667.24**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग की सचिवालय व्यय के लिए है।

3. **एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम:** (क) (i) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी) को 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डबल्यूडीसी)के रूप में एकीकृत किया गया था। डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई वर्षा सिंचित और अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए है। आईडबल्यूएमपीके तहत, 2009-10 से 2014-15 के दौरान 28 राज्यों (अब 27 राज्य और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र) में 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें लगभग 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल था। योजना की शुरुआत से, राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 19926.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। योजना 31.03.2022 को बंद कर दी गई है।

(ii) वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, 36.34 लाख किसान लाभान्वित हुए, 16.41 लाख हेक्टेयर अतिरिक्तक्षेत्र को संरक्षणात्मक सिंचाई के तहत लाया गया और 2015-16 से 7.65 लाख जल संचयन संरचनाएं सृजित /पपुनरुद्धरित की गईं। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक, 388 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हुए, 1.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के तहत लाया गया और 3.36 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उक्त योजना की पूर्ण परियोजना के माध्यम से कृषि योग्य बनाया गया।

(iii) भारत सरकार ने 4.95 मिलियन हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्य और 8,134 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के सांकेतिक वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को जारी रखने की मंजूरी दी। तदनुसार, डबल्यूडीसी 2.0 के लिए कार्यक्रम दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया और माननीय माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदयके अनुमोदन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया।

(iv) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0, के कार्यान्वयन के दौरान वर्षा सिंचित और अवक्रमित भूमि के विकास के साथ-साथ , मिट्टी की नमी के संरक्षण, सतही बहाव को कम करने और भूजल को रिचार्ज करने, फसलों के विविधीकरण, फसल सघनता में वृद्धि, फसल क्षेत्र में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि,लाभान्वित किसानों की संख्या में वृद्धि,संरक्षणात्मक सिंचाई के तहत लाए गए क्षेत्र में वृद्धि और सृजित मानव दिवसों की संख्या में वृद्धि आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब तक, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, विभाग ने 30.09.2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 2703.1 करोड़रुपये जारी किए हैं।

(v) डब्ल्यूडीसी 2.0 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ,कुछ प्रमुख पहलों में, (क) स्वीकृत वाटरशेड परियोजनाओं के कम से कम 10% के लिए भूमि संसाधन सूची का निर्माण, (ख) अनुमोदित लागत के भीतर एक नई गतिविधि के रूप में स्प्रिंगशेड के कायाकल्प को शामिल करना (ग) एसएचजी और यूजी को मजबूत करने और उचित विपणन और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एफपीओ को बढ़ावा देने सहित आजीविका के अवसरों पर जोर (घ) वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों के 20% में बागवानी सहित वृक्षारोपण करने के लिए राज्यों को सलाह, शामिल हैं।

(vi) भूमि अवक्रमण शून्यता (एलडीएन) लक्ष्यों, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी)के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के महत्व को और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, विभाग 2025-26तक डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

(ख) "अभिनव विकास के माध्यम से कृषीय समुत्थान हेतु वॉटरशेड नवीकरण (रिवार्ड)" संबंधी विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम

(i) विश्व बैंक सहायता प्राप्त रिवार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर्नाटक और ओडिशा में किया जा रहा है। रिवार्ड कार्यक्रम का विकास उद्देश्य "भाग लेने वाले राज्यों के चयनित वाटरशेड में किसानों की सक्षमता बढ़ाने तथा मूल्य श्रृंखलाओं की सहायता के लिए बेहतर वाटरशेड प्रबंधन को अपनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों की क्षमताओं को सशक्त करना है"। यह कार्यक्रम दो महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्रों पर केंद्रित है अर्थात (क) वाटरशेड विकास के लिए मजबूत संस्थान और सहायक नीति (ख) जलवायु परिवर्तनशीलता तथा बढ़ी हुई आजीविका के लिए विज्ञान आधारित वाटरशेड विकास।

(ii) . विश्व बैंक बोर्ड ने 10 दिसंबर 2021 को कार्यक्रम को मंजूरी दी और तत्पश्चात, दिनांक 18 फरवरी 2022 को भारत सरकार, विश्व बैंक और भाग लेने वाले राज्यों के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, विश्व बैंक ने 24 मार्च, 2022 को कार्यक्रम की प्रभावशीलता की घोषणा की थी। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 4.5 वर्ष की कार्यक्रम अवधि में भूमि संसाधन विभाग और दो भागीदार राज्यों के लिए कार्यक्रम की कुल लागत 167.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर (04.11.2020 तक एक यूएसडी = 73.24 रुपये के हिसाब से 1228.31 करोड़ रुपये) है। कुल बजट में विश्व बैंक से 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर [कर्नाटक (60 मिलियन अमेरिकी डॉलर), ओडिशा (49 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और भूमि संसाधान विभाग (6 मिलियन अमेरिकी डॉलर)], दो राज्यों से 46.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर [कर्नाटक (25.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और ओडिशा (21.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर)] और भारत सरकार से 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।

(iii). रिवार्ड कार्यक्रम के लिए एक अलग बजट शीर्ष बनाया गया था। वर्ष 2023-24 हेतु भूमि संसाधन विभाग के स्तर पर 19.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्रीय स्तर पर, रिवार्ड कार्यक्रम के दायरे में भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रबंधन, निगरानी, संचार और ज्ञान साझा करने के कार्य शामिल हैं। भूमि संसाधन की विशिष्ट भूमिका 'बेहतर वाटरशेड प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय तकनीकी मानकों को अद्यतन करना और राज्यों को निर्देश जारी करना' है।

(iv). भूमि संसाधन विभाग स्तर पर वर्ष 2024-25 के लिए रिवार्ड कार्यक्रम के तहत व्यय को पूरा करने के लिए, 20.00 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

4. **वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** भूमि संसाधन विभाग का फोकस, प्रयास और जोर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तत्वावधान में देश के सभी जिलों में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) बनाने पर है जो अन्य बातों के साथ-साथ (i) भूमि पर वास्तविक समय की जानकारी सुधरेगी (ii) भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग (iii) भूमि मालिकों और संभावितों दोनों को लाभ (iv) नीति और योजना में सहायता (v) भूमि विवादों को कम करना, (vi) धोखाधड़ी / बेनामी लेनदेन की जांच करना, (vii) सुविधा प्रदान करना और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों और लिंकेज के लिए सक्षम करें और (viii) भूमि मालिक, संबंधित कार्यालयों / को संबंधित भूमि के किसी भी भूखंड की उचित और व्यापक स्थिति देने के लिए सभी उपलब्ध और प्रासंगिक जानकारी तक एक नज़र में ऑनलाइन एकल-खिड़की पहुंच प्रदान करें। एजेंसियां और इच्छुक व्यक्ति/उद्यमी। विभाग का प्रयास विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) या भू-आधार जैसी पहलों के माध्यम से भूमि प्रशासन के क्षेत्र में निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है, जो भूमि पार्सल की पहचान की एक एकीकृत प्रणाली है, जो किसी भी भूमि पार्सल पर जानकारी की सच्चाई का एकल आधिकारिक स्रोत या संपत्ति नागरिकों को एकीकृत भूमि सेवाएं प्रदान करने के लिए और राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) या ई-पंजीकरण जो देश भर में पंजीकरण विभागों के लिए विकसित एक सामान्य, सामान्य और विन्यास योग्य एप्लिकेशन है।